(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 50 / 2024

पंजीकरण सं. :– 2024 / 128

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ(राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

श्री गिरधर गोपाल पुत्र श्री विट्ठल दत्त जाति छीपा निवासी लंका कॉलोनी, बंदा जी की बगीची, चरीघाट रोड, बारां जिला बारां राज0 (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स गोपाल समोसा, अंबेडकर सर्किल, बारां (राज.)

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री रितेश भारद्वाज अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 12.09.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.03.2024 को मै. गोपाल समोसा, अंबेडकर सर्किल, बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री गिरधर गोपाल पुत्र श्री विट्ठल दत्त छीपा(विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.03.2024 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूॅ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **जलेबी (मैदा, शक्कर, वनस्पति से निर्मित)** 04 किग्रा. स्टील की ट्रे में आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **जलेबी (मैदा, शक्कर, वनस्पति से निर्मित)** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **जलेबी (मैदा, शक्कर, वनस्पति से निर्मित)** 02 किग्रा. एक साफ–सूखी व स्टील की ट्रे में वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदी जिसकी कीमत श्री गिरधर गोपाल पुत्र श्री विट्ठल दत्त छीपा (विक्रेता एवं मालिक) को 300/– रूपये (अक्षरे तीन सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:53:31 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **जलेबी [illegible]र, वनस्पति से निर्मित)** को स्टील की ट्रे में एकरूप कर चार साफ–सूखी एवं खाली [illegible] प्रत्येक में फार्मलीन की 40–40 बूंद डालकर एयरटाईट बंद किया [illegible] कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–2053 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर [illegible] मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अ[illegible] कागज में लपेट कर [illegible] नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–2053 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री गिरधर गोपाल पुत्र श्री विट्ठल दत्त छीपा(विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्सलेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र कमांक/एफएसएसए/2024/693 दिनांक 12.04.2024 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 286/PHL/kota/Act/2024/341 दिनांक 04.04.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **जलेबी (मैदा, शक्कर, वनस्पति से निर्मित)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standrad)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 01.08.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर अप्रार्थी का जवाब बंद किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **जलेबी (मैदा, शक्कर, वनस्पति से निर्मित)** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standrad)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि मेरे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ जलेबी को गगन वनस्पति से निर्मित किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। मेरी दुकान पर साफ–सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। मैं एक गरीब व्यक्ति हूं। अतः मेरे विरूद्ध प्रस्तुत की गई कार्यवाही खारिज की जावें।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 286/PHL/kota/Act/2024/341 दिनांक 04.04.2024 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **जलेबी (मैदा, शक्कर, वनस्पति से निर्मित)** निर्दिष्ट खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 286/PHL/kota/Act/2024/341 दिनांक 04.04.2024 से धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Sub Standrad)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को कुल जुर्माना राशि 10,000/– रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क** [illegible] जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **12.09.2024** को मेरे द्वारा [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:53:31 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)